



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13022024-252031
CG-DL-E-13022024-252031

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 597]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2024/माघ 23, 1945

No. 597]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2024/MAGHA 23, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2024

का.आ. 628(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3242 तारीख 19/07/2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के सागरमाला एलए (स्लिप टोल प्लाजा) के निर्माण के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विस्तार में NH16 का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, चिलकुरुमंडल तिरुपति जिले में 2 लेन से 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए, चिलकुरुक्रॉस रोडसेपूर्वी कनुपुर किमी 0.000 से किमी 23.771 तक जिसमें एनएच-16 पर 6 लेन फ्लाईओवर और एप्रोच और 6 लेनपूर्वी कनुपुर से पोर्ट साउथ गेट तक 6 लेन अनुरक्षण, प्रबंधन और संचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन "प्रजा शक्ति (तेलुगु) समाचार पत्र और द हंस इंडिया (अंग्रेजी) तारीख 01.08.2023 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

संक्षिप्त विवरण; आंध्र प्रदेश राज्य के सागरमाला एलए (स्लिप टोल प्लाजा) के निर्माण के लिए संरचना के साथ या बिना संरचना के अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के विस्तार में NH16 का रखरखाव, प्रबंधन और संचालन, चिलकुरुमंडल तिरुपति जिले में 2 लेन से 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए, चिलकुरुक्रॉस रोडसेपूर्वी कनुपुर किमी 0.000 से किमी 23.771 तक जिसमें एनएच-16 पर 6 लेन फ्लाईओवर और एप्रोच और 6 लेनपूर्वी कनुपुर से पोर्ट साउथ गेट तक 6 लेन अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: तिरुपति		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: चिलकुर					
गांव का नाम: पूर्व कनुपुर					
1	100	सरकारी (100)	डीआर्वाइ	0.068799	कपिल 100-1B
2	100	सरकारी (100)	डीआर्वाइ	0.084987	कपिल 100-3A
3	[object Object]	निजी (102)	डबल्यूईटी	0.016188	एपीआईसी 102-1B
4	[object Object]	निजी (102)	डबल्यूईटी	0.097128	एपीआईसी 102-2A2
5	103-1	सरकारी (103-1)	डीआर्वाइ	0.012141	कपिल 103-1C
6	103-4	सरकारी (103-4)	डीआर्वाइ	0.004047	कपिल 103-4A2
7	103-4	सरकारी (103-4)	डीआर्वाइ	0.044517	कपिल 103-4C1
8	103-4	सरकारी (103-4)	डीआर्वाइ	0.008094	कपिल 103-4C2
9	152-1	सरकारी (152-1)	ए डबल्यू ड्राय	0.117363	कपिल 152-1
10	154-2	निजी (154-2)	डीआर्वाइ	0.036423	एपीआईसी 154-2A2
11	156-1	निजी (156-1)	डीआर्वाइ	0.012141	एपीआईसी 156-1B
12	156-1	निजी (156-1)	डीआर्वाइ	0.048564	एपीआईसी

					156-2A2
13	156-1	निजी (156-1)	डीआरवाइ	0.012141	एपीआईसी 156-2C1
14	[object Object]	सरकारी (160-1)	ए डबल्यू ड्राय	0.036423	कपिल 160-1
15	98-1	निजी (98-1)	डीआरवाइ	0.016188	एपीआईसी
16	99	निजी (99)	डीआरवाइ	0.016188	एपीआईसी 99-1A
गांव का नाम: ऐनकुलापाटुरु					
17	1086	सरकारी (1086)	डीआरवाइ	0.218535	1.कंदुकुरु लक्ष्मैया ऍस्/ओ पेदलक्ष्मैया(बेल, टॉइलेट) , 2.एगा चेंचैया ऍस्/ओ कोटैया (थच्छेद हाउस), 3.गद्वशेषय्य ऍस्/ओ चेंचुरमैया (यूकोलिप्टोस) 1086-2C1A
18	1086	सरकारी (1086)	डीआरवाइ	0.1618778	एडबल्यू 1086-2C3A
कुल योग				1.0117448	

[फा. सं. 7069/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2024

S.O. 628(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **3242 Dated:19/07/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH16 in the stretch of land to be acquired with or without structure falling within the stretch for construction of SAGARMALA LA (Slip Toll Plaza) of Chillakuru Mandal of Tirupati District for Construction of 2 lane to 4 lane road from Chillakuru cross road to East Kanupur from Km. 0.000 to Km. 23.771 including 6 lane flyover and approaches on NH-16 and 6 laning of East Kanupur to port south Gate in the state of ANDHRA PRADESH;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajā Shakthi (*Telugu*)” and “The Hans India (English)” both dated 01-08-2023; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority for Land Acquisition has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately by CALA;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in the exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land for construction of SAGARMALA (Slip Toll Plaza) of Chillakur Mandal of Tirupati District for Construction of 2 lane to 4 lane road from Chillakuru cross road to East Kanupur from Km 0.000 to Km. 23.771 including 6 lane flyover and approaches on NH-16 and 6 laning of East Kanupur to port south Gate in the state of ANDHRA PRADESH;

State: ANDHRA PRADESH			District: Tirupati		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Chillakur					
Village: East Kanupuru					
1	100	Government (100)	DRY	0.068799	KPIL 100-1B
2	100	Government (100)	DRY	0.084987	KPIL 100-3A
3	102	Private (102)	WET	0.016188	APIIC 102-1B
4	102	Private (102)	WET	0.097128	APIIC 102-2A2
5	103-1	Government (103-1)	DRY	0.012141	KPIL 103-1C
6	103-4	Government (103-4)	DRY	0.004047	KPIL 103-4A2
7	103-4	Government (103-4)	DRY	0.044517	KPIL 103-4C1
8	103-4	Government (103-4)	DRY	0.008094	KPIL 103-4C2
9	152-1	Government (152-1)	A W Dry	0.117363	KPIL 152-1
10	154-2	Private (154-2)	DRY	0.036423	APIIC 154-2A2
11	156-1	Private (156-1)	DRY	0.012141	APIIC 156-1B
12	156-1	Private (156-1)	DRY	0.048564	APIIC 156-2A2
13	156-1	Private (156-1)	DRY	0.012141	APIIC 156-2C1
14	160	Government (160-1)	A W Dry	0.036423	KPIL 160-1
15	98-1	Private (98-1)	DRY	0.016188	APIIC
16	99	Private (99)	DRY	0.016188	APIIC 99-1A

Village: Ankulapaturu					
17	1086	Government (1086)	DRY	0.218535	1.Kandukuru Lakshmaiah S/o Peddalakshmaiah(Well, Toilet) , 2.Ega Chenchaiiah S/o Kotaiah (Thached House), 3.GaddamSeshaiah S/o Chenchuramaiah (EUCOLYPTOS) 1086-2C1A
18	1086	Government (1086)	DRY	0.1618778	AW 1086-2C3A
Total				1.0117448	

[F. No. 7069/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.